

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)

भू-अर्जन प्रकरण क्र0 49/अ-82/2017-18

ग्राम पाली तहसील तमनार

### ईशतहार

कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग ~~सेवु निर्माण~~

रायगढ़

बनाम

—आवेदक

छ0ग0शासन


—अनावेदक

ग्राम पाली तहसील तमनार की निजी भूमि रायगढ़-हमीरपुर मार्ग चौडीकरण अंतर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात सहमति तथा जनसुनवाई) नियम 2016 के तहत एस0आई0ए0 निर्धारण अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को गठित विशेषज्ञ दल द्वारा जांच पश्चात् अभिमत अंकित कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। (ईशतहार के साथ पृथक से संलग्न है)

तदनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना अंतर्गत इस कार्यालय द्वारा दिया गया अभिमत ईशतहार के माध्यम से ग्राम में प्रकाशित किया जाकर सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संलग्न प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति दिनांक 21.01.2019 तक इस कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्त पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 05 जनवरी, 2019 को इस न्यायालय के सील एवं मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।



  
अनुविभागीय अधिकारी (रा)  
घरघोड़ा जिला रायगढ़

प्रतिलिपि तहसील कार्यालय, तमनार के सूचना पटल पर चस्पा कर प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

टीप— सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तुत अभिमत की प्रति कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)

भू-अर्जन प्रकरण क्र0 48/अ-82/2017-18

ग्राम जोबरो तहसील तमनार

### ईशतहार

कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग ~~सेतु चिर्पाण~~

रायगढ़

बनाम

छ0ग0शासन

—आवेदक


—अनावेदक

ग्राम जोबरो तहसील तमनार की निजी भूमि रायगढ़-हमीरपुर मार्ग चौडीकरण अंतर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात सहमति तथा जनसुनवाई) नियम 2016 के तहत एस0आई0ए0 निर्धारण अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को गठित विशेषज्ञ दल द्वारा जांच पश्चात् अभिमत अंकित कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। (ईशतहार के साथ पृथक से संलग्न है)

तदनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना अंतर्गत इस कार्यालय द्वारा दिया गया अभिमत ईशतहार के माध्यम से ग्राम में प्रकाशित किया जाकर सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संलग्न प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति दिनांक 21.01.2019 तक इस कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्त पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 05 जनवरी, 2019 को इस न्यायालय के सील एवं मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।



  
अनुविभागीय अधिकारी (रा)  
(घरघोड़ा) जिला रायगढ़

प्रतिलिपि तहसील कार्यालय, तमनार के सूचना पटल पर चस्पा कर प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

टीप- सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तुत अभिमत की प्रति कार्यालय में भी देखा जा सकता है।